यह निरीक्षण प्रतिवेदन ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड अल्मोड़ा के माह 10/ 2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, लेखा परीक्षक श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 20/12/2017 से 21/12/2017 एवं 08/01/2018 से 17/01/2018 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव एवं श्री र वशंकर सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 24.10.2016 से 05.11.2016 तक श्री हनुमान संह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2015 से 09/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा डपॉज़िट कार्य कया जाता है। जिसमे भवन बनाना तथा सड़क निर्माण करना शा मल है ।
3. (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

उपरोक्तानुसार

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

क्रम संख्या	मद ववरण	वत्तीय वर्ष		
		2014-15	2015-16	2016-17
1	प्रारम्भिक अवशेष	962.95	1364.87	1726.15
2	वर्ष मे प्राप्तियाँ			
	(अ)केंद्र	-------	------	------
	(ब)राज्य	1065.04	1996.56	1614.46
	(स)अन्य स्रोतो से	-----	------	-----
3	कुल योग	2027.99	3361.43	3340.60
4	कुल व्यय	663.12	1635.28	1261.53
5	अंतिम अवशेष	1364.87	1726.15	2079.07

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष`	प्राप्त `	व्यय अ धक्य(+) `	बचत(-) `
2014-15					
		शून्य			
2015-16					
2016-17					

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई का बजट अन्य राज्य सरकार के वभाग से निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त रा श से कया जाता है। इकाई 'अ' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. मुख्य अ भयंता 2- अधीक्षण अ भयंता 3- अ धशाषी अ भयंता 4- सहायक अ भयंता 5- अवर अ भयंता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में सड़क निर्माण कार्यो का निरीक्षण कया गया तथा एक चारदीवारी के निर्माण से संबन्धित योजना भी देखी गई थी ।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1- ठेकेदार से 9 कार्यो मे वलंब के बावजूद रु 58.78 लाख की रा श वसूल न कया जाना

निर्माण कार्यो से संबन्धित अनुबंधो मे संलग्न जी॰ पी॰ डब्लू 9 (संशो धत) के उपबंध-4 के बिन्दु संख्या एक से पाँच के अनुसार यदि संबन्धित ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का 1/8 भाग अनुबं धत समय के ¼ भाग मे, निर्माण कार्य का ¾ भाग अनुबं धत समय के ¾ भाग मे तथा पूर्ण अनुबं धत समय मे पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कया जाता है तो प्रत्येक स्टेज पर कुल अनुबं धत रा श की क्रमशः 2.5%, 3.5% एवं 4% (कुल 10%) धनरा श उसको भुगतान की जाने वाली धनरा श से रोकते हुए जब्त की जानी थी । कन्तु वभाग द्वारा 100% रा श अवमुक्त करने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण न कए जाने पर वभाग द्वारा 10% धनरा श जब्त नहीं की गई। जिसका ववरण निम्नवत् था-

क्रम संख्या	निर्माण कार्यो के नाम	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत धनरा श	अवमुक्त धनरा श	रोकी जाने वाली रा श (10%)	कार्य की भौतिक स्थिति
1॰	तहसील जैती मे आवासीय भवन	2012-13	146.93	146.93	14.70	अपूर्ण
2॰	स्वास्थ्य केंद्र भाटनयाल ज्यूला का निर्माण	2013-14	51.00	51.00	5.10	अपूर्ण
3॰	प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र भाटनयाल ज्यूला मे टाईप 11 का निर्माण	2015-16	14.25	14.25	1.42	अपूर्ण
4॰	प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्र भाटनयाल ज्यूला मे टाईप 1Vका निर्माण	2015-16	25.08	25.08	2.50	अपूर्ण
5॰	मुख्य च कत्सा धकारी कार्यालय के पीछे सुरक्षा दीवार का निर्माण	2013-14	29.53	29.53	2.95	अपूर्ण
6॰	ग्राम पंचायत लाट मे खेल मैदान का निर्माण	2014-15	1.00	1.00	0.10	अपूर्ण
7.	ग्राम पंचायत बणसीमी ला खया मे खेल मैदान निर्माण	2014-15	1.00	1.00	0.10	अपूर्ण
8॰	गडनाथ मोटर मार्ग से ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का निर्माण (ताकुला)	2014-15	113.79	113.76	11.38	अपूर्ण
9॰	अल्मोड़ा पथौरागढ़ मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पुनाकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	2014-15	205.32	205.32	20.53	अपूर्ण
	कुल		**587.90**	**587.87**	**58.78**	

वभाग से पूछने पर बताया गया की संबन्धित कार्यो मे ठेकेदारो द्वारा समय वृद् ध की मांग की गई है। जिसके अनुमोदन हेतु सक्षम अ धकारी को पत्र प्रे षत कया जा रहा है। सक्षम प्रा धकारी से उ चत आदेश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क प्रत्येक स्टेज पर कुल अनुबं धत रा श का एक निश्चित प्रतिशत धनरा श उसको भुगतान की जाने वाली धनरा श को रोकते हुए जब्त की जानी थी । जो वभाग द्वारा नहीं कया गया।

अतः ठेकेदार से 9 कार्यो मे वलंब के बावजूद रु 58.78 लाख की रा श वसूल न कए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- **2** ठेकेदारो की अदावाकृत धनरा श रु॰7.64 लाख को व्यपगत धनरा श के रूप मे राजस्व खाते मे जमा न कया जाना।

वत्तीय नियमानुसार तीन वर्षो तक रोकी गई रा श का दावा न कए जाने पर अदावाकृत रा श को व्यपगत धनरा श के रूप मे राजस्व खाते मे जमा कर दिया जाना चाहिए। प्रखण्ड के भाग ii,iv एवं v पंजिका के निरीक्षण मे पाया गया क प्रखण्ड द्वारा संलग्नक अ के अनुसार, संबं धतों द्वारा तीन वर्षो से अ धक समय से दावा न कए जाने के बावजूद राजस्व खाते मे जमा कए जाने क कार्यवाही नहीं की गई।

इकाई से पूछने पर बताया गया क व वध कार्यो मे समयवृद् ध/घटाबढ़ी हेतु धनरा श रोकी गई है। जो सक्षम स्तर से स्वीकृत न होने के कारण धनरा श अवमुक्त नहीं क गई । उच्चा धकारियों से आदेश ले कर यथो चत कार्यवाही कर ली जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था,समयवृद् ध/खटाबढ़ी के आदेश कार्य समाप्त होने से पूर्व ले लए जाने चाहिए था। तथा तीन वर्षो से अ धक समय तक धनरा श अदावाकृत होने पर राजस्व खाते मे डालने क प्र क्रया कर देनी चाहिए थी।

अतः ठेकेदारो की अदावाकृत धनरा श रु॰ 7.64 लाख को व्यपगत धनरा श के रूप मे राजस्व खाते मे जमा न कया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक अ

	माह	ठेकेदार का नाम	अव शष्ट रा श
भाग ii पंजिका	02/14	खंडेलवाल एम्पोरियम	3500/-
	02/14	के आर इंटरप्राइसेस	10000/-
भाग iv पंजिका	03/10	मैसर्स राणा कन्स्ट्रकशन	55000/-
	05/11	मैसर्स मेहता कन्स्ट्रकशन	10000/-
	06/11	नवीन संह ठैला	5000/-
	07/11	श्री सीमेंट ल मटेड	15000/-
	07/11	श्री कैलाश चन्द्र तीवारी	5000/-
	11/11	राजेंद्र संह कैडा	10000/-
	11/11	शेर संह	5000/-
	12/11	त्रिलोक संह रावत	10000/-
	01/12	कशन संह	5000/-
	01/12	कैलाश चन्द्र तिवारी	5000/-
	08/12	मैसर्स मेहता कन्स्ट्रकशन	50000/-
	06/13	गंगा दत्त भट्ट	5000/-
	06/13	महेंद्र संह मेर	253/-
	01/14	हरिशरण शर्मा	27000/-
	02/14	चन्दन संह बिष्ट	50000/-
	02/14	गंगा दत्त भट्ट	3500/-
	03/14	कांति इंटरप्राइसेस	25000/-
	03/14	कांति इंटरप्राइसेस	60000/-
	03/14	हरिशरण शर्मा	25000/-
	03/14	महेश चंद सनवाल	10000/-
भाग v पंजिका	05/05	एल पी पंत	369417/-
		कुल धनरा श	763670/-

भाग दो (ब)

प्रस्तर -**3** सक्षम प्रा धकारी के अनुमति के बगैर सड़क निर्माण कार्यो मे रु 11.32 लाख का अनुबन्धित कार्य क मात्रा के वपरीत कार्य कया जाना।

अक्टूबर 2016 को निदेशक ग्रामीण सड़के एवं ड्रैनेज वभाग उत्तराखंड ने अपने पत्रांक 597/31/2016-17 द्वारा यह स्पष्ट कया था क योजनाओ मे व्यय नि वदा/अनुबंध के अनुसार ही सुनिश्चित कया जाय तथा व भन्नता बिना निदेशालय क अनुमति के स्वीकार्य नहीं होगा, क्यों क सड़के नाबार्ड से लोन के आधार पर स्वीकृत थी ।

ग्रामीण सड़के एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 मे शासनादेश संख्या 45/XII-2/2015/02(04) दिनांक 17.03.15 के अंतर्गत रु 223.60 लाख का व्यय स्वीकृत कया गया था।जिसमे समय समय पर रु 104.40 लाख क रा श दिसंबर 2014 तक प्रखण्ड को प्राप्त हो चुकी थी। जिसके अंतर्गत 04 छोटे छोटे जाब काटकर ठेकेदारो से काम करवाए जा रहे थे। जिसमे कुछ मदों मे अनुबंध से व भन्नता पायी गई । जो निम्नवत थी -

जाब संख्या	मदों के नाम	निष्पादित कार्य क मात्रा	अनुबं धत कार्य क मात्रा	दर	अंतर क रा श
1	C/O 1.0 M SPAN CULVERT	23.95	18.30	21140.20	119442.13
2	R R stone masonary	297.43	207.00	2733.20	247163.27
3	R R stone masonary	268.31	192.00	2733.20	208570.49
4	Earth work in exacavationinfound in R/wall	299.61	239.57	232.80	13977.31
	R R stone masonary	413.82	215.00	2733.20	543414.82
				कुल	**1132568/-**

इकाई से पूछने पर बताया गया की उक्त अनुबन्धो के अंतिम भुगतान के समय सक्षम प्रा धकारी से व भन्नता स्वीकृत करा लया जायगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क अनुबन्धो के वपरीत कार्य कये जाने से पूर्व सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृत प्राप्त कर ली जानी चाहिए थी जो प्रखण्ड द्वारा नही ली गयी।

अतः सक्षम प्रा धकारी के अनुमति के बगैर सड़क निर्माण कार्यो मे रु 11.32 लाख का अनुबं धत कार्य क मात्रा के वपरीत कार्य कया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1**- वगत पाँच वर्षों मे स्टोर कराए के रूप मे रु 2.84 लाख का अलाभकारी व्यय।

वत्तीय अनिय मतता न होने पाये इस बात का पूरा ध्यान वभाग को हमेशा रखा जाना चाहिये। वभाग के बिल वाउचर एवं निष्प्रयोज्य पत्रावली के अवलोकन मे पाया गया क स्टोर मे निम्न सामग्री कई वर्षो से अप्रयुक्त चली आ रही है-

1- साइन बोर्ड 103 सं0 रु 56650/-
2- क्रेक सील 16 कलोग्राम रु 3420/-
3- रिक्रोन 12 एम एम 325.50 कलोग्राम रु 141240/-
4- रिक्रोन 6 एम एम 474 कलोग्राम रु 208560/-

कुल रु 409870/-

उक्त साम ग्रयों को प्रयोग करने हेतु अ भयंताओ को निर्दे शत भी कया गया था, कन्तु न तो अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही क गई और न ही उपयोग हेतु सामग्री निर्गत क गई। साथ ही इन साम ग्रयों क सुरक्षा हेतु वर्ष 2008 से स्टोर कराए पर लया गया था । जिसका वगत पाँच वर्षो मे रु 2.84 लाख का कराया वभाग दारा कया गया। तथा आगे भी रु 5660/- प्रति माह क दर से कराया दिया जा रहा है। यदि अनुप्रयुक्त सामग्री का निस्तारण समय पर कर दिया जाता तो स्टोर कराये के रूप मे दी गई और आगे दी जाने वाली रा श को बचाया जा सकता था। जिसको वभाग द्वारा नहीं कया गया। वभाग से पूछने पर बताया गया क सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यो क निस्तारण क कार्यवाही हेतु कोई भी साक्ष्य वभाग द्वारा नहीं दिया गया। अतः वगत पाँच वर्षों मे स्टोर कराए के रूप मे रु 2.84 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **2**- फ्रीज़ धनरा श रु 95.90 लाख शासन स्तर पर लंबित होना

प्रखण्ड के भाग iii पंजिका के निरीक्षण मे पाया गया क शासन स्तर पर निम्न धनरा शयाँ वगत 15 वर्षो से लंबित चली आ रही थी। जिसके निस्तारण/अवमुक्ति हेतु प्रखण्ड द्वारा सार्थक प्रयास कया जाना चाहिए था।

माह	कार्य का नाम	धनरा श
06/1999	जिला धकारी कार्यालय मे ग्रल का कार्य	13,619/-
06/1999	राजकीय इंटर कालेज अल्मोड़ा मे सीढ़ी निर्माण	49,739/-
01/2000	बागेश्वर मे व वध कार्य	2,47,685/-
05/2000	वधायक नि ध के व वध कार्य	51,72,030/-
05/2000	पर्यटन वभाग के व वध कार्य	6,10,112/-
11/2000	पटवारी चौकी का निर्माण	34,97,533/-
	कुल धनरा श	95**,90,718/-**

इकाई से पूछने पर बताया गया क फ्रीज़ धनरा श शासन स्तर पर पड़ी हुई है। सक्षम प्रा धकारी को उ चत कार्यवाही हेतु शीघ्र ही पत्र प्रे षत कर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

इकाई का उत्तर स्वतः इस तथ्य की पुष्टि करता है क वभाग द्वारा फ्रीज़ रा श के अवमुक्ति हेतु कोई भी सार्थक प्रयास नहीं कया गया।

अतः फ्रीज़ धनरा श रु 95.90 लाख शासन स्तर पर लंबित होने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0	भाग-दो (अ) प्रस्तर सं0	भाग- दो (ब) प्रस्तर सं0
1992-93	--	01
1993-94	--	02
1998-99	01	02
2001-02	02	--
2005-06	01	03
2006-07	--	01
2009-10	--	01
2011-12	--	01
2014-15	--	--
2016-17	--	02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रकरणो क स्थिति संलग्न है।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड अल्मोड़ा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

3. शून्य

4.

(i)

(ii)

5. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
१-	श्री आशुतोष	अ धशासी अ भयंता
२-	श्री आर० सी० मुनगली	अ धशासी अ भयंता
३-	श्री के० के० पंत	अ धशासी अ भयंता

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड अल्मोड़ा को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.